प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्या य़
संयुक्तम सचि़व
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थाऽन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्याब-83 से संस्था न के मुख्य1 चिकित्साप भवन, आंकोलाजी भवन एवं प्रशासनिक भवन में 24 घण्टेि फुल डी0जी0 बैकअप विद्युत सप्ला़ई हेतु विद्युत सब स्टेसशन के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याा- 53/2016/1414/71-2-16-आर0एम-16/2015 दिनांक 30 मार्च, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीनय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्याय-83 से डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था न के मुख्य चिकित्सा़ भवन, आंकोलाजी भवन एवं प्रशासनिक भवन में 24 घण्टेण फुल डी0जी0 बैकअप विद्युत सप्लासई हेतु विद्युत सब स्टेनशन के आधुनिकीकरण हेतु रू0 45,57,000/- (रूपया पैतालीस लाख सत्ावन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्येपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) अनुदान संख्या-83 से स्वीवकृत की जा रही धनराशि का व्यकयउपयोग योजना आयोग , भारत सरकार तथा राज्यप सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्था न की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण सम्बथन्धीा वित्ती य नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
7) प्रश्नगगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थातन के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक , डा0रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थायन, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 201 5-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्यारण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्साक, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-28-डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीेट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ24-वृहत् निर्माण कार्य"के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यदकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 , दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं समाज कल्या ण विभाग के शासनादेश संख्या्-07/26/ब0प्र0-2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याोय)
संयुक्तह सचिव।

संख्या- 56/2016/1418(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) मुख्यरक्कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त नियंत्रक, डा0रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थादन,लखनऊ
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) अधिशासी अभियन्तान/परियोजना प्रबन्ध क, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
8) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यारपित की जा सकती है ।